



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19685

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A सं. - 1102/2026

श्रीमती आशा कुमारी.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:संतोष कुमार पांडे, यादवेंद्र द्विवेदी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पांडे और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता को जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी के पद पर नियुक्त किया गया था और वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मेजा, जिला प्रयागराज में कार्यरत हैं, लेकिन अब उनका स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेजा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर, प्रयागराज कर दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण रिट याचिकाकर्ता स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकती हैं।
3. इस याचिका में प्रार्थना यह है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे दावे पर विचार करें।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा सर्वप्रथम दूसरे प्रतिवादी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज, जिला प्रयागराज द्वारा किया जाना आवश्यक है।
5. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. विरोधी पक्षों के निवेदनों के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस स्वतंत्रता के साथ किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ, दूसरे प्रतिवादी के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है; और दूसरा प्रतिवादी, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय विधि के अनुसार

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सख्ती से करेगा। यदि दूसरे प्रतिवादी की यह राय है कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

7. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस रिट याचिका का निर्णय प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना ही किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित किए जाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार किया है।
8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

आशु

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”